


निगरानी प्रकरण क्र० 120/2012

कानून 2218  
सुनवाई कार्यालय का प्राप्त  
का  
7-8-12  
राजस्व प्रकरण क्र० 120/2012



R. 2827-J/12

प्रह्लाद शुभाद गुप्ता तनय सद० ओ रामसुलदा गुप्ता उफ० सुन्दरलाल गुप्ता  
उम्र 50 वर्ष, पेशा दुकानदारी, निवासी ग्राम लालमुर, तह० अमरपाटन  
जिला झज्जना म०प्र० ----- आदेका निगरानी

## बनाम

शासन म०प्र० बरिये वल० महोदय सतना जिला सना म० ५०

— अनादेका गैर निगरानी

निगरानी विरह आदेश न्यायालय श्रीमान्  
तहसोलीपार महोदय तहसाल अमरपाटन जिला  
झज्जना के राजस्व प्रकरण क्र० 17ए 12/11-12  
में जो जादेश दिनांक 1-7-12 की पारित  
व पुसारित किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० पूराजस्व  
संहिता सन 1959ईस्वी।

## पान्थिवर,

निगरानी के जाधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवक्ता प्रक्रिया  
के विपरीत होने से काविल निरस्तगी किये जाने दीर्घ है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का ठाक़ ढौं से अक्लाक्षन  
नहीं किया, मात्र सरसरी तरीर पर देखते हुये प्रह्लादोन जादेश पारित

R 2827-I/12 अप्र०  
कुमार युद्ध/ कालनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
111516	<p>साठेकाम्प विस्तार करावाहा। कोप्ता खाली विस्तार करावाहा। विस्तार करावा। विस्तार करावा। विस्तार करावा।</p> <p style="text-align: right;">लक्ष्मी</p>	